राजस्व प्रार्थना पत्र 19/2019
जीसीएमएसम नंबर 2019/00052
रामदेव दत्तक पुत्र जगरूपराम बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र–19/2019

प्रार्थी–

1. रामदेव दत्तक पुत्र जगरूपराम, जाति–जाट
निवासी– अजबपुरा, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री बस्तीराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 11/01/22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामदेव के जाईन्दा पिता तुलछाराम है जबकि प्रार्थी अपने काका जगरूपराम के गोद चला गया है तथा स्व. जगरूपराम जी की खातेदारी भूमि में रामदेव दत्तक पुत्र जगरूपराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल दर्ज हो गया। परन्तु मौजा अजबपुरा के खाता संख्या 84 के खसरा नंबर 3 रकबा 4.15 बीघा में रामदेव पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी अजबपुरा दर्ज कर दिया। प्रार्थी रामदेव के जो भी सरकारी दस्तावेज है उनके रामनिवास दत्तक पुत्र जगरूपराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल दर्ज है। इसलिये प्रार्थी रामदेव मौजा अजबपुरा का खाता संख्या 84 के खसरा नंबर 3 रकबा 4.15 बीघा में रामदेव दत्तक पुत्र जगरूपराम जाति जाट निवासी अजबपुरा तहसील जायल नागौर बाबत सशोंधन करवाना चाता है जिससे सरकारी काम काज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 22.10.2021 को मय हल्का पटवारी रोटू एवं आईएलआर दुगोली की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि मौजा अजबपुरा के खाता संख्या 84 के खेत खसरा नंबर 3 रकबा 4.15 बीघा की खातेदारी रामदेव पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज है तथा रामदेव अपने राजस्व रेकर्ड में रामदेव पुत्र तुलछाराम के स्थान पर रामनविास दत्तक पुत्र जगरूपराम करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कवर नहीं होता है अतः प्रार्थी प्रकरण में सक्षम न्यायालय में

11/01/22

Scanned with CamScanner

घोषणात्मक वाद से ही रिलिफ अनुतोष प्राप्त कर सकता है अतः उक्त प्रार्थना प्रत्र को खारिज फरमावें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/01500407, आधार कार्ड संख्या 5202 3783 7886, राशनकार्ड 008268000120, तथा नकल खतौनी सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 84 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रोटू के खतौनी सं. 84 में अंकित खसरा नं. 3 में प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र तुलछाराम के स्थान पर रामदेव दत्तक पुत्र जगरूपराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, क्यों कि धारा 136 के तहत रेकर्ड मे प्रतिदिन के कार्यकलाप मे राजस्व रेकार्ड मे हुई गलतियों को सही किया जा सकता है। साथ ही भू–प्रबन्ध के दौरान किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की खातेदारी या गैर खातेदारी कृषि भूमि को सिवायचक या चरागाह दर्ज कर दिया गया है अथवा किसी राजकीय भूमि , सिवायचक या चरागाह को किसी व्यक्ति के खातेदारी दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियो को धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा समरी ट्रायल से शुद्ध किया जा सकता है। तथा किसी का जाति नाम या स्वयं का नाम भी सम्मान जनक किया जा सकता है। जैसे –रामला का रामलाल, चमार का मेघवाल इत्यादि। तथा विशेष– धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बल्कि रेकार्ड के आधार परं जो पूर्व मे निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही गलतियो की शुद्धि की जा सकती है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होने के कारण धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद से ही अनुतोष प्राप्त करें। पत्रावली फैसल होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होने के कारण धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 11/01/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

11/01/22

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner